**JALAUN POLICE**

**दिनांक – 07.09.2026**

**कोतवाली कोंच पुलिस एवं स्वाट/सर्विलास की संयुक्त टीम द्वारा डकैती की घटना का सफल अनावरण करते हुये घटना मे संलिप्त 03 अभियुक्तगण को पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा मे भेजा जा रहा है ।**

अवगत कराना है कि दिनांक 04/05.09.2026 की रात्रि मे वादी श्री रघुवीर अहिरवार पुत्र स्व0 झगडू निवासी ग्राम सिमिरिया कोतवाली कोंच के घर मे घुसकर अज्ञात व्यक्तियो द्वारा तमंचा दिखाकर बुजुर्ग दपंति को बंधक बनाकर वादी के घर मे सन्दूक से चांदी के सिक्के ,चांदी के जेवरात व कुछ रुपये ले गये थे । वादी द्वारा दिनांक 05.09.2026 को कोतवाली कोंच पर घटना के संबन्ध में प्रार्थना पत्र दिया गया था । जिसके आधार पर कोतवाली कोंच पर मु0अ0सं0 188/2026 धारा 309(4) बीएनएस बनाम 03 व्यक्ति अज्ञात पंजीकृत किया गया था । वरिष्ठ अधिकारियो द्वारा तत्काल घटनास्थल का निरीक्षण किया गया ।

अपर पुलिस महानिदेशक महोदया, कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस महानिरीक्षक महोदय, झांसी परिक्षेत्र, झांसी के निर्देशन में जालौन पुलिस टीम द्वारा अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत घटना के अनावरण हेतु अपर पुलिस अधीक्षक जालौन के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी कोंच के नेतृत्व मे 03 टीमों का गठन किया गया था । कोतवाली कोंच व स्वाट/सर्विलांस की संयुक्त टीम द्वारा चेकिंग के दौरान संदिग्ध व्यक्तियो को रोकने का प्रयास किया गया जिस पर अभियुक्तगण द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गयी ।पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ की गयी जवाबी फायरिंग मे अभियुक्त रवि अहिरवार पैर मे गोली लगने से घायल हो गया। जबकि पुलिस टीम द्वारा घेराबन्दी कर जमील अहमद एंव प्रमोद उर्फ चीकू को गिरफ्तार कर लिया गया । गिरफ्तार अभियुक्तगण के पास से 01 अवैध असलहा, 01 खोखा कारतूस फंसा हुआ, 01 जिन्दा कारतूस, 01 खोखा कारतूस, पीली एवं सफेद धातु के जेवरात व ₹35,000/ रुपये नगद तथा घटना में प्रयुक्त 01 ई-रिक्शा बरामद किया गया है। घायल अभियुक्त को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया है ।

***उक्त पुलिस मुठभेड़ एवं बरामदगी के संबंध में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।***

**पूछताछ का विवरण-** पूछताछ में अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि दिनांक 04/05.09.2026 को हम लोगो ने ग्राम सिमिरिया मे एक मकान मे घुसकर सोने चांदी के जेवरात,चांदी के सिक्कें व 35000 रुपयें की डकैती डाल कर फरार हो गये थें ।

**गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-**

1. रवि अहिरवार पुत्र गोविंददास, निवासी मोहल्ला गांधीनगर कस्बा कोंच जनपद जालौन उम्र करीब 24 वर्ष (घायल अभियुक्त)
2. जमील अहमद पुत्र रफीक अहमद निवासी मोहल्ला कांशीराम कॉलोनी कस्बा कोंच जनपद जालौन उम्र करीब 57 वर्ष
3. प्रमोद उर्फ चीकू पुत्र स्व0 माताप्रसाद निवासी ग्राम सिमरिया कोतवाली कोंच जनपद जालौन उम्र करीब 44 वर्ष

## गिरफ्तार अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास

**1. अभि0 जमील अहमद उपरोक्त का आपराधिक इतिहास**

1.मु0अ0सं0 563/17 धारा 380/411 भादवि कोतवाली जालौन जनपद जालौन

2.मु0अ0सं0 569/18 धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट कोतवाली जालौन जनपद जालौन

**2. अभि0 प्रमोद उर्फ चीकू उपरोक्त का आपराधिक इतिहास**

1. मु0अ0सं0 05/2024 धारा 380/411 भादवि जीआरपी महोबा जनपद महोबा।

**बरामदगी का विवरण-**

1. 01 अदद अवैध असलहा।
2. 01अदद खोखा कारतूस नाल मे फंसा हुआ।
3. 01 अदद जिन्दा कारतूस।
4. 01 खोखा कारतूस।
5. 01 कील पीली धातु
6. चांदी के जेवरात एवं चांदी के सिक्कें लगभग 650 ग्राम।

7 ₹35,000/रुपये नगद।

8. घटना में प्रयुक्त 01 ई-रिक्शा वाहन।

**पुलिस टीम का विवरण-**

1.प्र0नि0 कोतवाली कोंच मय पुलिस टीम।

2.स्वाट/सर्विलांस की संयुक्त टीम।